

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935
No. 653]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 764**(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
245	444	जम्मू और कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट रारा 44सं.के साथ अपने जंक्शन से
		प्रारंभ होकर बड़गाम, पुलवामा, शुपियान, कुलगाम को जोड़ते हुए और काजीगुंड के
		निकट रारा सं. 44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
246	144 ए	जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू के निकट रारा 44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकरे अखनूर, नौशेरा, राजौरी को जोड़ते हुए और पूंछ पर समाप्त होने वाला
		राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-8)]

माया प्रकाश, उप सचिव

1156 GI/2014

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 764 (E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Serial No.	New	Description of National Highways
	National	
	Highway	
	No.	
(1)	(2)	(3)
245	444	The highway starting from its junction with NH-44 near Srinagar connecting Badgam, Pulwama, Shupiyan, Kulgam and terminating at its junction with new NH No. 44 near Quazigund in the State of Jammu and Kashmir.
246	144A	The highway starting from its junction with NH-44 near Jammu connecting Akhnur, Naoshera, Rajauri and terminating at Punch in the State of Jammu and Kashmir.

TABLE

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-8)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 765 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 145 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

0

तालिका			
क्र. सं	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण	
	राजमार्ग		
	संख्या		
(1)	(2)	(3)	
145	144	जम्मू और कश्मीर राज्य में डोमेल के निकट रारा 44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कटरा,	
		रियासी को जोड़ते हुए पौनी में समाप्त होने वाला राजमार्ग।	

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-8)]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O.765(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial numbers 145, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

	TABLE			
Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways		
(1)				

(1)	(2)	(3)
145	144	The highway starting from its junction with NH No. 44 near Domal connecting Katra, Riasi and terminating at Pauni in the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-8)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.